

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग जयपुर

क्रमांक: प.8(ड)का.भा./डीएलबी/18/618

दिनांक 27/03/18

आदेश

श्रीमती मीना जाटव, अध्यक्ष, नगरपालिका, बयाना के विरुद्ध दिनांक 14.03.18 को अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से नगरपालिका, बयाना में अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है तथा नगरपालिका, बयाना में अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति (सामान्य) वर्ग के लिए आरक्षित है।

अतः राज्य सरकार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री कमल किशोर (अनुसूचित जाति), पार्षद वार्ड संख्या 15, नगरपालिका, बयाना को, अध्यक्ष, नगरपालिका, बयाना का कार्यभार ग्रहण करने हेतु साठ दिवस अथवा अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, अधिकृत करती है।


(पवन अरोड़ा)


निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (ड) ()का.भा./डीएलबी/18/619-629

दिनांक 27/03/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वा0शा0 विभाग, राज0, जयपुर।
03. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, स्वा0शा0 विभाग, राज0, जयपुर।
04. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय, राज0, जयपुर।
05. जिला कलक्टर, भरतपुर एवं उपखण्ड अधिकारी, बयाना।
06. निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0, जयपुर को आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
07. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर।
08. सहायक निदेशक(सतर्कता)निदेशालय।
09. अधिशापी अधिकारी नगर पालिका बयाना।
10. श्री कमल किशोर (अनुसूचित जाति), पार्षद वार्ड संख्या 15, नगरपालिका, बयाना।
11. सुरक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी